

उत्तर प्रदेश
सहकारी ग्राम—विकास बैंक
नियमावली
1971

उत्तर प्रदेश {सहकारी ग्राम—विकास बैंक}
नियमावली, 1971

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश {सहकारी ग्राम—विकास बैंक} नियमावली, 1971 कहलायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषायें— विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश {सहकारी ग्राम—विकास बैंक} अधिनियम, 1964 से है।

(ख) “बैंक” का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम—विकास बैंक} या किसी ऐसे {सहकारी ग्राम—विकास बैंक} से है, जो प्रसंगोचित हो (ग) “बाकीदार” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी भूमि

की प्रतिभूति पर {उत्तर प्रदेश ग्राम—विकास बैंक} से धन उधार लिया हो और ऋण या उस पर ब्याज या ब्याज सहित उसकी किसी किस्त का प्रतिदाय, देय दिनांक को न किया हो।

(घ) “विक्रय अधिकारी” का तात्पर्य धारा 16 के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (जो वर्ग 2 के निरीक्षण के पद से नीचे की श्रेणी का न हो) से है और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 2 के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति भी है।

(ङ) “धारा” से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(च) “अनुसूची का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची से है, और प्रपत्रों के सम्बन्ध में अभिदेश अनुसूची में दिये गये प्रपत्रों के अभिदेश से समझा जायेगा।”

(छ) उन शब्दों तथा पदावलियों के जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं और उन शब्दों तथा पदावलियों के, जो

अधिनियम में परिभाषित नहीं है किन्तु तत्समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) अथवा तद्धीन बनाई गई नियमावली में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा तद्धीन बनाई गई नियमावली में दिये गये हैं।

अध्याय 2

ऋण-पत्रों का जारी किया जाना

3. धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन मण्डल द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों पर सम्पूर्ण अदत्त धनराशि किसी भी समय धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित धनराशियों के योग से और उस पर 10 प्रतिशत से अधिक न होगी।

4. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य द्वारा दी गयी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि में वृद्धि करना {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} के हित में न्यायसंगत तथा आवश्यक है तो (क) मण्डल द्वारा ऐसी वृद्धि के लिए, जो पर्याप्त कारणों के साथ यथाविधि समर्थित हो, अनुरोध किये जाने, तथा (ख) न्यासधारी द्वारा इस आशय की राज्य सरकार के विशेष सिफारिश किये जाने के पश्चात ऐसी वृद्धि की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बढ़ाई गई प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि समय-समय पर गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(2) धारा 8 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उक्त उपधारा की प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अर्थ में ऋण-पत्रों द्वारा पहले से ही धारित प्रत्याभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, ऋण-पत्रों के मूलधन की प्रत्याभूति तथा उनके ब्याज की धनराशि को समाप्त अथवा कम या उसका परिष्कार कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय में {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} ने—

(क) न्यास-विलेख की शर्तों का पालन करने

(ख) अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन करने

(क) बन्धककर्ताओं के आगम का उचित सत्यापन करने में यथोचित सावधानी तथा सतर्कता रखने।

(घ) जारी किये गये ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रत्याभूति का अनुरक्षण करने और

(ङ) ऋण-पत्रधारियों के प्रति बैंक के दायित्वों को पूरा करने के सम्बन्ध में न्यासधारी के अनुदेश का पालन करने में चूक की हो।

अध्याय 3

प्रत्याभूति निधि

5. (1) राज्य सरकार ऐसे दिनांक से, जो निश्चित किया जाय, अधिनियम की धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार एक प्रत्याभूति निधि स्थापित कर सकती है। उक्त निधि में {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} किसी सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष के दौरान किये गये 100रु. के ऋण पर एक पैसे की दर से धनराशि का वार्षिक रूप में अंशदान करेगा। (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी जब कोई {ग्राम-विकास बैंक} स्थापित किया जाए और उक्त बैंक द्वारा ऋण दिया जाय तो वह अपने द्वारा दिये गये ऋण के प्रत्येक 100रु. के ऋण पर आधे पैसे की दर से धनराशि का अंशदान प्रत्याभूति निधि में करेगा और {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} निबन्धन के अनुमोदन से अपने अंशदान को {ग्राम-विकास बैंक} द्वारा उपर्युक्त के अनुसार अंशदान की गई सीमा तक कम कर सकता है।

(3) राज्य सरकार भी उक्त निधि में समय-समय पर उतनी धनराशि अंशदान कर सकती है, जितनी वह उचित समझे।

{ 6. उक्त निधि वित्त-विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य लेखे के लोक सेवा अनुभाग में रखी जायेगी और ऐसी निधि में किये गये समस्त अंशदान तथा निधि से किये गये विनियोजन पर अर्जित ब्याज सीधे निधि में जमा किया जायेगा।

{ 7. शर्तें और प्रतिबन्ध—{ग्राम-विकास बैंक} द्वारा बन्धकों की प्रतिपूर्ति पर दिये गये ऋण के कारण, जो निम्नलिखित परिस्थितिवश पूर्णतः वसूल न हुआ हो, हानियों की पूर्ति धारा 9 के अधीन स्थापित प्रत्याभूति निधि से की जायेगी:— (क) यदि बन्धककर्ता की सम्पूर्ण संपत्ति अथवा उसका अधिकांश भाग नष्ट या

क्षतिग्रस्त हो जाय अथवा ऐसी संपत्ति के सम्बन्ध में उसके अधिकार पूर्णतः

या अधिकांशतः देवी आपदाओं अथवा किसी अन्य कारण से, जिस पर

उसका वश न हो, समाप्त हो जाय, जिससे वह बैंक को ऋण का प्रतिदान

न कर सके।

(ख) यदि {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} अथवा {ग्राम-विकास बैंक} द्वारा

यथोचित सावधानी और सतर्कता रखने के बावजूद, निबन्धक द्वारा नियुक्ति

किसी अधिकारी द्वारा (जो सहायक निबन्धक के पद से नीचे का न हो),

यथाविधि सत्यापित बन्धककर्ता का आगम बाद में दोषपूर्ण पाया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी भी हानि की तब तक पूर्ति न की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव की परिनिरीक्षा तथा उसकी संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पांच व्यक्तियों से अनधिक द्वारा, जिसके अन्तर्गत {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} के सभापति और न्यासधारी भी है, संगठित किसी

समिति द्वारा न की गई हो, और राज्य सरकार का भी यह समाधान हो गया हो कि बैंक अपने संसाधनों से ऐसी हानि को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने की स्थिति में नहीं है और बैंक के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि उक्त हानियों की पूर्ति प्रत्याभूति निधि से की जाय।}

अध्याय 4

बन्धकग्रस्त भूमि की उपज के, जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल भी है, अभिहरण तथा विक्रय की प्रक्रिया

8. किसी बैंक की प्रबन्ध समिति धारा 15 की उपधारा(1) के अधीन प्रपत्र 1 में, अपने सचिव अथवा शाखा प्रबन्धक(ब्रांच मैनेजर) अथवा भूमि मूल्यांकन अधिकारी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रबन्ध समिति ने इस प्रयोजन के लिए यथाविधि प्राधिकृत किया हो, निबन्धक को प्रार्थना-पत्र दे सकती है।

9. नियम 8 के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि प्रार्थना-पत्र में दर्ज किये गये व्योरे ठीक हैं तथा प्रार्थी ने इस नियमावली के अनुलग्नक में इंगित मानक्रम के अनुसार अभिहरण तथा विकास की लागत जमा कर दी है तो वह प्रपत्र 2 में मांग की नोटिस, तीन प्रतियों में तैयार करेगा या तैयार करवायेगा। ऐसी मांग की नोटिस की दो प्रतियां संबंधित विक्रय अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे प्रार्थना-पत्र पर, जिसके साथ अभिहरण तथा विक्रय की लागत न हो तथा प्रबन्ध समिति के संकल्प की वह प्रति न हो जिसमें नियम 8 के अधीन किसी अधिकारी के ऐसे प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, विचार नहीं किया जायेगा।

10. विक्रय अधिकारी बाकीदार को अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके सामान्य निवास-स्थान पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मांग की नोटिस की एक प्रति संप्रदत्त करके उसे तामील करेगा या तामील करवायेगा, अथवा जब वह इस प्रकार तामील न की जा सके तब मांग की नोटिस की एक प्रति उसके निवास-स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकवा कर तामील करवायेगा।

11. यदि बाकीदार पर मांग की नोटिस तामील कर दी गई हो और वह मांग की नोटिस के अधीन देय धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो विक्रय अधिकारी बन्धकग्रस्त भूमि के उपज का अभिहरण करेगा तथा उसे तुरन्त ही अभिहत संपत्ति की एक सूची या तालिका संप्रदत्त करेगा तथा उसे उस स्थान, दिनांक तथा समय की भी सूचना देगा जहां पर, उस दशा में, जबकि ऐसे दिनांक के पूर्व देय धनराशि का भुगतान न किया जाय अभिहत सम्पत्ति बिक्री के

लिए लायी जायेगी, तथा किसी दशा में अभिहत सम्पत्ति की सूची या तालिका को उस मकान पर भी चिपकायेगा जिसमें बाकीदार साधारणतया रहता हो तथा उसमें उस स्थान को भी अनुलिखित करेगा जहां पर सम्पत्ति रखी गई हो तथा उस स्थान, दिनांक और समय को भी अनुलिखित करेगा जब बिक्री की जाय। 12. विक्रय अधिकारी अभिहरण तथा विक्रय के मध्य अन्तराल के दौरान अभिहत सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिवीक्षा के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करेगा। प्रार्थी बैंक अथवा सम्बन्धित ग्राम विकास का कोई अधिकारी, यदि बैंक ने उसे तदर्थ प्राधिकृत किया हो, विक्रय अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अभिहत सम्पत्ति की अभिरक्षा तथा परिवीक्षा का दायित्व लेगा। यदि बाकीदार की भूमि पर खड़ी फसलें अथवा बिखरी उपज को अभिहत किया जाय तो विक्रय अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि जब वे काटने अथवा एकत्र करने के उपयुक्त हो जायें तो उन्हें बेच दिया जाये, अथवा स्वविवेक से, किन्तु बाकीदार की लागत पर, उन्हें उपयुक्त मौसम में कटवा सकता है अथवा एकत्र करा सकता है, तथा बेचे जाने तक उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखवा सकता है। विक्रय अधिकारी, बाकीदार अथवा ऐसी सम्पत्ति में हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर, उसे उसी गांव अथवा उसी स्थान पर, जहां उसे कुर्क किया गया हो, उक्त बाकीदार अथवा व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ सकता है, यदि वह यथापेक्षा सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के निमित्त निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एक या एकाधिक प्रतिभुओं सहित एक बन्धपत्र निष्पादित कर दें : प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत सम्पत्ति तुरन्त तथा सजह नष्ट होने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो एक ऐसा शीघ्रतर दिनांक निश्चित किया जा सकता है जिस पर विक्रय अधिकारी उसे, तब तक कि धनराशि उसके पूर्व जमा न कर दी जाय, बेच सकता है।

13. नियम 11 के अधीन कोई अभिहरण सूर्यास्त के उपरान्त तथा सूर्योदय के पूर्व नहीं किया जायेगा।

14. विक्रय अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी भी घुड़साल, गोशाला, अन्नागार, गोदाम, बहिगृह अथवा अन्य किसी भवन में बलपूर्वक प्रवेश करे तथा वह किसी ऐसे निवास गृह में भी प्रवेश कर सकता है जिसका बाहरी दरवाजा खुला हो तथा वह बन्धकग्रस्त भूमि के उपज को अभिहत करने के प्रयोजन से निवास गृह के किसी भी कमरे का दरवाजा तोड़कर घुस सकता है, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि एतदपश्चात् की कई व्यवस्था के सिवाय विक्रय अधिकारी के लिए यह वैध न होगा कि वह ऐसे विकास-गृह के ऐसे प्रकोष्ठ (एपार्टमेन्ट) को तोड़े या उसमें प्रवेश करे जो जनाना अथवा महिलाओं के निवास के लिए प्रयुक्त होता है।

15. यदि विक्रय अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो, कि बन्धकग्रस्त भूमि की उपज ऐसे निवास-गृह में रखी है जिसका बाहरी दरवाजा बन्द किया जा सकता है अथवा ऐसे प्रकोष्ठ में है जो जनाने के लिए प्रयुक्त होता है और जिससे देश की प्रथा अथवा रूढ़ि के अनुसार निजी (प्राइवेट) माना जाता है तो

विक्रय अधिकारी इस तथ्य को निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रतिवेदित करेगा। ऐसा प्रतिवेदन होने पर निकटतम थाने का प्रभारी अधिकारी मौके पर रहने के लिए किसी पुलिस-अधिकारी को भेजेगा जिसकी उपस्थिति में ऐसे निवास-स्थान का बाहरी दरवाजा खोल सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी को बन्धकग्रस्त भूमि की उपज को अभिहृत करने के लिए महिलाओं के प्रकोष्ठ में प्रवेश करना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता हो कि वहां उपज रखी गई है, तो वह ऐसे प्रकोष्ठ में पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की कम से कम एक महिला गवाह की उपस्थिति में, महिलाओं को वहां से चले जाने के अथवा हट जाने के निमित्त नोटिस देने के उपरान्त ही प्रवेश करेगा, तथा यदि खोली जाने वाली सम्पत्ति मिल जाती है तो उसे तत्काल ही विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकोष्ठ से हटा लिया जायेगा और तदुपरान्त उस प्रकोष्ठ को महिला अध्यासियों के निमित्त छोड़ दिया जायेगा।

16. विक्रय अधिकारी विक्रय के एक दिन पूर्व तथा विक्रय के दिन उस गांव जिसमें बाकीदार रहता हो अथवा जिसमें उपज रखी गई हो और ऐसे अन्य स्थान तथा स्थानों पर जिन्हें विक्रय अधिकारी विक्रय का यथोचित प्रचार करने के निमित्त आवश्यक समझे, डुंगी पिटवाकर अभीष्ट विक्रय के समय तथा स्थान की घोषण करवायेगा।

17. यदि, बाकीदार पर मांग की नोटिस तामील होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर, वह उस धनराशि का भुगतान नहीं करता है, जिसके निमित्त अभिहरण किया गया था, तो विक्रय अधिकारी अभिहृत सम्पत्ति को अथवा उसके भाग को, जो उसकी राय में मांग सहित अभिहरण तथा विक्रय के व्ययों की भरपाई करने के लिए आवश्यक हो, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के हाथ बेच सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि बन्धकग्रस्त भूमि की ऐसी खड़ी फसल को, जो तुरन्त तथा सहज नष्ट होने वाली हो, अभिहरण के उपरान्त मांग की नोटिस में इंगित देय धनराशि को जमा करने के लिए बाकीदार को 15 दिन का समय देना आवश्यक न होगा तथा बिक्री शीघ्रतर सम्पन्न की जा सकती है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी सबसे ऊँची बोली को, यदि प्रस्तावित मूल्य अनुचित रूप से कम हो अथवा अन्य पर्याप्त कारणों से भी, अस्वीकार कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विक्रय अधिकारी स्वविवेक से, ऐसे विक्रय को किसी निर्दिष्ट दिनांक तथा समय तक के लिए, स्थगन से सम्बन्धित स्वकीय कारणों को अभिलिखित करते हुए, स्थगित कर सकता है। यदि कोई बिक्री 7 दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित की जाय तो नियमाधीन फिर से घोषणा आवश्यक होगी जब तक कि बाकीदार उस घोषणा के परित्यजन से सहमत न हो।

18. सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान बिक्री के समय नकद किया जाएगा तथा

क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग तब तक न ले जाने दिया जाएगा जब तक कि उसने पूरा भुगतान न कर दिया हो।

19. यदि क्रेता धनराशि का भुगतान न करें तो सम्पत्ति पुनः बिक्री की जायेगी तथा पुनः बिक्री की धनराशि को एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रयुक्त किया जायेगा।

20. अभिहरण तथा बिक्री में उपगत व्ययों को बिक्री की धनराशि से कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि को, यदि कोई हो, उन देयों के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जिनके निमित्त अभिहरण और बिक्री की गई थी। अधिक धनराशि, यदि कोई हो, बाकीदार को दे दी जायेगी तथा उसे मांग की नोटिस में दर्शित आपत्ति तक दायित्व से उन्मुक्त होने के निमित्त रसीद दी जायेगी।

21. यदि इन नियमों के अधीन बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के उपज की बिक्री और अभिहरण से सम्बन्धित उपगत व्यय, बैंक द्वारा जमा किये गये व्यय से बढ़ जाता है तो ऐसा बढ़ा हुआ व्यय, यथास्थिति, बेची गई सम्पत्ति की बिक्री की आय या बाकीदार द्वारा जमा की गई धनराशि से काट लिया जाएगा और शेष धनराशि यदि कोई हो, बैंक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

22. यदि बिक्री के पहले बाकीदार या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो बाकीदार के माध्यम से अभिहृत सम्पत्ति में हित का दावा करता हो, ब्याज सहित सम्पूर्ण देय धनराशि और अभिहरण तथा बिक्री के सम्बन्ध में उपगत व्यय को अदा करता है तो विक्रय अधिकारी बिक्री की कार्यवाही नहीं करेगा और सम्पत्ति को अभिहण से तुरन्त उन्मुक्त कर देगा।

अध्याय 5

बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय की प्रक्रिया

23. यदि कोई व्यक्ति बन्धक धन का अथवा उसके किसी भाग का भुगतान मांग की नोटिस जारी किये जाने के एक महीने के भीतर, करने में चूक करे तो प्रबन्ध-समिति अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसार बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा।

24. प्रबन्ध-समिति अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, नियम 23 के अधीन विक्रय के लिये कार्यवाही करते समय लिखित रूप से एक नोटिस, जिसमें नोटिस तामील करने में उपगत व्यय सहित बैंक द्वारा दावा की गई धनराशि तथा विक्रयार्थ सम्पत्ति के ब्यौरे दिये जायेंगे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड(क) में अभिदिष्ट सभी व्यक्तियों को देगा जिसमें उनसे नोटिस में उल्लिखित धनराशि को उक्त नोटिस के तामील किये जाने से एक माह के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

25. यदि नियम 24 के अधीन जारी की गई नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर न किया जाय तो प्रबन्ध-समिति या

तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त नोटिस में निर्दिष्ट बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु मण्डल से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

26. मण्डल नियम 25 के अधीन अभिदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित करेगा जिसके लिये मण्डल धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित बन्धककर्ता और किसी भी अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें उन्हें नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक महीने से अनधिक का समय देगा। 27. मण्डल, नियम 26 में उल्लिखित नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपत्तियों का, यदि कोई हो, निस्तारण, आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई करने के उपरान्त करेगा।

{28. यदि मण्डल, नियम 27 के अधीन प्राप्त आपत्तियों को अस्वीकार कर दे अथवा यदि कोई भी आपत्ति प्राप्त हो तो मण्डल विक्रय अधिकार को बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय के लिए प्राधिकार देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा विक्रय नियम 24 के अधीन जारी की गई नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीन मास की समाप्ति के पूर्व नहीं किया जायेगा।}

29. (1) विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय हेतु निश्चित रूप से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, विक्रय की घोषणा पूरे ब्यौरे के साथ ऐसे समाचार-पत्र में जिसके क्षेत्र में परिचालन हो, विज्ञापन द्वारा और बन्धकग्रस्त सम्पत्ति तथा निम्नलिखित कार्यालयों में से दो या उससे अधिक कार्यालयों के किसी प्रमुख भाग पर लगाकर अधिसूचित की जायेगी :

(1) सम्बन्धित खण्ड-विकास कार्यालय

(2) तहसील

(3) यथास्थिति, {ग्राम-विकास बैंक} अथवा सम्बद्ध {उत्तर प्रदेश

ग्राम-विकास बैंक} की शाखा का कार्यालय

(4) सहायक जिला निबन्ध, सहकारी समिति तथा सम्बद्ध जिले के वसूली अधिकारी का कार्यालय।

(2) उक्त घोषणा में विक्रय का समय और स्थान बताया जाएगा और उसमें निम्नलिखित का यथासम्भव उचित रूप से और ठीक-ठीक उल्लेख किया जायेगा :-

(क) बेची जाने वाली सम्पत्ति

(ख) कोई भार जो सम्पत्ति पर हो

(ग) राजस्व जो उसके सम्बन्ध में देय हो

(घ) धनराशि जिसकी वसूली हेतु विक्रय-आदेश दिया गया हो

(ङ.) प्रत्येक अन्य विषय जिसे विक्रय अधिकारी सम्पत्ति के प्रकार

तथा मूल्य के क्रेता को अनुमान लगाने के लिए सारवान

समझे।

प्रतिबन्ध यह है कि घोषणा में विक्रय का दिनांक इस प्रकार निर्धारित किया

जायेगा जिससे कि वह घोषणा अधिसूचित करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के उपरान्त पड़े और घोषणा में उल्लिखित विक्रय-स्थल ऐसा स्थान होगा जहां विक्रयार्थ सम्पत्ति स्थित हो अथवा कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, जो बेची जाने वाली सम्पत्ति के निकट हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी घोषणा की सूचना (नोटिस) बाकीदार को भी दी जायेगी।

(3) विक्रय अधिकारी उपनियम (2) में उल्लिखित ब्यौरों सहित घोषणा विक्रय के दिनांक के पहले लगातार दो दिन तक और विक्रय के दिन भी, बिक्री प्रारम्भ होने के पूर्व, उस गांव में जहां विक्रय हेतु सम्पत्ति स्थित हो, डुग्गी पिटवा कर करायेगा 30. (1) जब कोई बन्धकग्रस्त सम्पत्ति इन नियमों के अधीन बेची जाय तो ऐसी बिक्री उस सम्पत्ति पर, पूर्व भार के, यदि कोई हो, अधीन होगी। सम्बन्धित {ग्राम-विकास बैंक} द्वारा विक्रय अधिकारी को, बन्धक के दिनांक से कम से कम बारह वर्ष पहले की अविध की भार-ग्रस्तता का प्रमाण-पत्र, जिसके अधीन सम्पत्ति का बेचने का प्रस्ताव हो, निबन्धक विभाग से लेकर प्रस्ताव करेगा। (2) विक्रय, सार्वजनिक निलामी द्वारा, सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को किया जाएगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह सबसे ऊँची बोली को, इस कारण से कि दिया जाने वाला धन अनावश्यक रूप से कम जान पड़ता है या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से, अस्वीकार कर दे, और प्रतिबन्ध यह भी है कि विक्रय अधिकारी, स्वविवेक से, स्थगन के कारणों को अभिलिखित करते हुए विक्रय को किसी अन्य निर्दिष्ट दिन और समय के लिए स्थगित कर सकता है। यदि विक्रय, इस प्रकार सात दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया जाय तो, जब तक कि बन्धककर्ता उद्घोषणा न करने के लिए लिखित सहमति न दे दे, फिर से घोषणा की जायेगी।

31. यह विक्रय अधिकारी पर निर्भर होगा कि वह बन्धकग्रस्त भूमि की एक या एकाधिक ढेरियों में, जैसा वह उचित समझे, बेंचे और बन्धकग्रस्त भूमि के केवल उतने ही भाग को बेचा जायेगा जिसे विक्रय अधिकारी ब्याज सहित देय धनराशि से ऋण मुक्त होने तथा बिक्री के व्ययों को पूरा करने के लिए यथेष्ट समझे। 32. यह विक्रय संपत्ति ऐसे व्यक्ति के अध्यासन में जो धारा 22 के अधीन उस पर अध्यासित होने का हकदार हो और उस सम्बन्ध में विक्रय का प्रमाण पत्र दिया गया हो तो विक्रय अधिकारी, क्रेता के प्रार्थना-पत्र पर और ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के किसी प्रमुख भाग में विक्रय के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि लगवाकर उक्त नीलामी क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा और किसी सुविधाजनक स्थान पर डुग्गी पिटवाकर या अन्य प्रचलित पथा द्वारा अध्यासीन व्यक्ति को घोषणा द्वारा या बतायेगा कि बन्धककर्ता के अधिकार, आगम और हित उक्त क्रेता को संक्रमित कर दिये गये हैं।

33. {(1) सबसे ऊँची बोली बोलने वाला, जिसकी बोली स्वीकार की जाय, अन्तिम बोली समाप्त हो जाने और उसकी बोली स्वीकार किये जाने की घोषणा के पश्चात तुरन्त विक्रय-स्थल पर ही नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत विक्रय अधिकार के पास जमा करेगा और शेष धनराशि उक्त बोली बोलने वाले के द्वारा नीलामी समाप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सम्बद्ध बैंक की शाखा में नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।

(2) यदि सबसे ऊँची बोली बोलने वाला नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके, तो उसे ऐसी सम्पत्ति अथवा ऐसे किसी की धनराशि पर, जो उसने नीलामी की धनराशि के आंशिक भुगतान के रूप में किया हो, कोई भी अधिकार न होगा और विक्रय अधिकारी को दूसरों की उच्चतम बोली स्वीकार करने का अधिकारी होगा। परन्तु यह कि द्वितीय उच्चतम बोली की धनराशि उच्चतम बोली के 85 प्रतिशत से कम या बैंक द्वारा दावा की गयी धनराशि से, जिसमें उपगत ब्याज भी सम्मिलित है, कम न हो। द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसकी बोली स्वीकार की जाय, अपनी बोली स्वीकार किये जाने की घोषणा के पश्चात, तुरन्त नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत विक्रय अधिकारी के पास जमा करेगा और शेष धनराशि उक्त बोली बोलने वाले के द्वारा नीलामी समाप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सम्बद्ध बैंक की शाखा में नकद या चेक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जायेगी।

(3) क्रेता के लिखित अनुरोध पर, मण्डल उपनियम(1) और (2) में उल्लिखित 75 प्रतिशत धनराशि को जमा करने की अवधि 7 दिन तक बढ़ा सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि अपरिहार्य कारणों से क्रेता उसे विनिश्चित समय में जमा नहीं कर सका।

(4) यदि द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला भी नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सके तो उसे ऐसी सम्पत्ति या ऐसी किसी धनराशि पर, जो उसने नीलामी की धनराशि के आंशिक भुगतान के रूप में किया हो, कोई अधिकार न होगा।

(5) यदि सबसे ऊँची बोली बोलने वाला नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सकें और द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकार न की जाय, यदि उपनियम (2)के अधीन द्वितीय उच्चतम बोली स्वीकार की जाय और द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाला नीलाम की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा न कर सकें तो सम्पत्ति को तत्काल पुनः नीलाम किया जायेगा।

34. यदि {ग्राम-विकास बैंक} जिसके कहने पर सम्पत्ति बेची जाय, क्रेता हो तो विक्रय अधिकारी नियम 33 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करेगा। तत्पश्चात विक्रय अधिकारी बन्धक धनराशि का पूर्णतः या अंशतः भरपाई, जैसी भी दशा, हो किये जाने के बारे में दर्ज करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रय धनराशि दावे की धनराशि से अधिक हो तो शेष धनराशि का भुगतान बाकीदार को विक्रय की पुष्टि से पन्द्रह दिन के भीतर, नियम 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किया जायगा।

35. यदि क्रेता नियम 33 के अनुसरण में नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत जमा कर देता है तथा तदन्तर्गत अपेक्षित धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि तथा सम्पत्ति के प्रति अथवा उस धनराशि के किसी अंश के प्रति, जिस पर कि सम्पत्ति बाद में किसी समय बेची जाय, दावा जब्त हो जायेगा। जब्त की गई धनराशि, विक्रय, सभी लागतों, परिव्ययों तथा व्ययों की कटौतियां करने के उपरान्त शेष धनराशि बैंक को दे दी जायेगी।

36. क्रय धनराशि के भुगतान के निमित्त अनुमत अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर, बन्धकग्रस्त सम्पत्ति की दोबारा बिक्री इस नियमावली में ऐसे बिक्री के लिए एतदपूर्व निर्धारित रीति तथा अवधि के लिए उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् की जायेगी।

37. यदि बिक्री के पूर्व बन्धककर्ता अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति में हित करने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति देय पूरी धनराशि जिसके अन्तर्गत ब्याज तथा अन्य लागत और सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में उपगत, परिव्यय तथा व्यय भी है, को अदा कर देता है तो विक्रय अधिकारी बिक्री सम्बन्धी कार्यवाही नहीं करेगा।

38. अधिनियम की धारा 16 के अधीन कृत प्रत्येक विक्रय की धनराशि प्रथमतः विक्रय अथवा प्रयासकृत विक्रयों के सम्बन्ध में हुई समस्त लागतों, परिव्ययों तथा व्ययों का भुगतान करने में द्वितीयतः ऐसे बन्धक के मददे, जिसके फलस्वरूप बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को बेचा गया था, देय किसी या समस्त ब्याज का भुगतान करने में तथा तृतीयतः बन्धक के मददे देय मूल धनराशि का जिसके अन्तर्गत वसूली की अनुसंगति लागत तथा परिव्यय भी है, भुगतान करने में प्रयुक्त की जायेगी।

विक्रय की धनराशि में से यदि कुछ बचा रहता है तो उसे बन्धककर्ता को, यदि वह जीवित हो, और यदि वह मृत हो तो उसके हितधारियों को वापस कर दिया जायगा।

{39. (1) यदि बन्धकग्रस्त सम्पत्ति बेच दी गई हो तो वह व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति पर स्वामित्व रखता हो अथवा विक्रय के पूर्व अर्जित आगम के परिणामस्वरूप उसमें हित रखता हो, सम्बन्धित बैंक के पास निम्नलिखित प्रकार से धनराशि जमा करके बिक्री को रद्द करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है— (क)

क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रेता द्वारा जमा की गई वास्तविक

धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि और

(ख) बिक्री की उद्घोषणा में निर्दिष्ट बकाये की धनराशि, जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया था तथा उस पर ब्याज और

ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में देय, बिक्री का व्यय तथा अन्य लागतें जिसमें से यह धनराशि घटा दी जायेगी जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक के पश्चात {ग्राम-विकास बैंक} को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट जमा सहित प्रार्थना-पत्र बिक्री को रद्द करने के लिए बिक्री के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जाये जो विक्रय अधिकारी द्वारा अभिदेश किये जाने पर प्रबन्ध समिति बिक्री को रद्द कर देगी तथा नीलामी क्रेता को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि और इस प्रकार जमा की गई धनराशि की पांच प्रतिशत धनराशि का भुगतान करेगी अथवा करायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपनियम के अधीन एकाधिक व्यक्ति धनराशि जमा करें तथा प्रार्थना करें तो सर्वप्रथम जमाकर्ता का प्रार्थना-पत्र ही ग्रहण किया जायगा।

40. बिक्री के दिनांक से तीस दिन व्यतीत होने पर, यदि विक्रय को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया हो अथवा यदि ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया गया हो किन्तु यह अस्वीकार कर दिया गया हो तो मण्डल बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश जारी करेगा और तदुपरान्त बिक्री पूर्ण हो जायगी।

41. जब कभी बन्धकग्रस्त भूमि की बिक्री पुष्ट न की जाय तब जमाकृत क्रय धनराशि क्रेता को जमा की अवधि में ग्राम विकास बैंक द्वारा उधार ग्रहीता सदस्यों से ऋण पर प्रभार्य ब्याज की न्यूनतम दर से समतुल्य दर पर ब्याज सहित वापस की जायगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रेता की किसी त्रुटि के कारण बिक्री की पुष्टि न की जा सके तो उसे कोई भी ब्याज नहीं दिया जायगा।

42. बिक्री की समाप्ति पर विक्रय अधिकारी प्रपत्र-3 में बिक्री के परिणाम के सम्बन्ध में निबन्धक तथा सम्बन्धित {ग्राम-विकास बैंक} को प्रतिवेदन भेजेगा।

43. जब बन्धकग्रस्त सम्पत्ति की बिक्री पूर्ण हो गयी हो तथा {ग्राम-विकास बैंक} ने विक्रय की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली हो, तो क्रेता से अपेक्षित सामान्य स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर {उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} क्रेता को प्रपत्र-4 में विक्रत सम्पत्ति, विक्रत धन, विक्रय का दिनांक, उस व्यक्ति का नाम जो विक्रय का प्रमाण-पत्र देगा। विक्रत प्रमाण-पत्र की मूल प्रति क्रेता को दी जायेगी और उसकी एक प्रति भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त सब-रजिस्ट्रार को अग्रसारित की जायगी। ऐसे विक्रय प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर, सब-रजिस्ट्रार, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग स्थित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में ऐसे प्रमाण-पत्र की अन्तर्वस्तुओं को दर्ज करेगा।

{अध्याय 5 -क
वित्तीय सहायता और प्रतिभू

44. प्रतिभू देने पर वित्तीय सहायता के लिए शर्त— बैंक से वित्तीय सहायता पाने के इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 21—ख की उपधारा (2) के अधीन प्रतिभू देने पर वांछित सहायता की व्यवस्था की जायेगी, यदि वह —

(एक) अपेक्षित वित्तीय सहायता के लिए बैंक के संतोषानुसार दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

(दो) वित्तीय सहायता से सृजित परियोजना पर और अपनी अन्य संपत्ति पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्रथम प्रभार की घोषणा—पत्र निष्पादित करें।

(तीन) बैंक के पक्ष में प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित गारण्टी विलेख को प्रस्तुत करें जिससे उसकी चूक की दश में प्रतिदान की गारण्टी दी जा सके।

45. प्रतिभू देने पर प्राप्त किये गये ऋण के बकाया की वसूली— (1) निबन्धक किसी ऋण या उसके किसी किस्त के बकाये की वसूली के लिये इस निमित्त दिये गये आवेदन—पत्र पर, ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा के ब्यौरे देने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, देय धनराशि की वसूली के लिये प्रमाण—पत्र जारी कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र अन्तिम होगा और देयों का, जिसे प्रतिभूओं और उधार लेने वाले व्यक्तियों से संयुक्त रूप से और पृथक—पृथक भू—राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकेगा निश्चायक सबूत होगा।}

अनुलग्नक— 1
(नियम 9 देखिए)

शुल्कों का मानक्रम

(क) बन्धकग्रस्त भूमि की उपज के अभिहरण तथा विक्रय के लिए प्रार्थना—पत्र के निमित्त, 1 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से किन्तु अधिकतम शुल्क एक सौ रुपये होगा।

(ख) कार्यवाहियों के अधीन प्रत्येक नोटिस के निमित्त 2 रुपया 50 पैसा (ग) प्रत्येक बाकीदार की चल—सम्पत्ति के अभिहरण के लिए 2 रुपया 50 पैसा

(घ) प्रत्येक बिक्री के लिए विक्रय के पूर्व प्रचारार्थ डुग्गी पीटने के निमित्त प्रतिदिन के लिए 2 रुपया 50 पैसा

(ङ.) प्रत्येक बिक्री के लिए विक्रय शुल्क 2 रुपया 50 पैसा।

प्रपत्र — 1
(नियम 8 देखिए)

1. बाकीदार का नाम

2. देय धनराशि, जिसके सम्बन्ध में अभिहरण तथा विक्रय प्रार्थित है
मूलधन

रूपया पैसा ब्याज

लागत

योग

3. देय किस्त का दिनांक
4. सम्पत्ति के ब्यौरे
(क) स्थिति और विनिर्देश
(ख) खड़ी फसल है अथवा उपज खेत में पड़ी है या वह भण्डार में है इन सबकी ठीक-ठीक स्थिति बताइए।
5. सम्पत्ति का मूल्य

सचिव/शाखा प्रबन्धक/भूमि मूल्यांकन अधिकारी

{उत्तर प्रदेश ग्राम-विकास बैंक} के हस्ताक्षर।

प्रमाणित किया जाता है कि बैंक में अनुरक्षित के आधार पर लेखे के सम्बन्ध में उपर्युक्त वक्तव्य ठीक है।

हस्ताक्षर

पदनाम

प्रपत्र — 2
(नियम 9 देखिए)

मांग की नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय।

1. बाकीदार का नाम, आत्मज और पता
2. देय धनराशि

रु०

पैसा (क)

मूलधन

(ख) ब्याज

(ग) लागत

योग

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि

(1)

वसूली अधिकारी

(2)

बाकीदार

को प्रेषित

दिनांक

हस्ताक्षर

पद नाम

प्रपत्र — 3
(नियम 45 देखिए)

सेवा में

निबन्धक,

1. {ग्राम-विकास बैंक} का नाम
2. उधारग्रहीता सदस्य का नाम
3. सदस्य के प्रति देय धनराशि
(क) मूलधन
(ख) ब्याज
(ग) दाण्डिक ब्याज
(घ) अन्य
(ङ) योग
4. अतिदेय धनराशि की वसूली के लिए विक्रीत गाटा 5. गाँव,
परगना, तहसील का नाम
6.
खसरा संख्या और 7. उपरोक्त गाटो की बिक्री से प्राप्त
धनराशि
8. बिक्री किये जाने का दिनांक
9. क्रेता का नाम, पितृनाम और पूरा पता

विक्रय अधिकारी के हस्ताक्षर

अधोहस्ताक्षरी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता है—

प्रपत्र — 4
(नियम 43 देखिए)

भूमि के विक्रय का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री
आत्मत,.....श्री.....
निवासी.....डाकखाना.....
जिला.....को दिन.....बार.....
माह.....200 , को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय के अवसर पर नीचे
वर्णित भूमि का क्रेता घोषित किया गया है और उपरोक्त विक्रय पूर्ण हो गया है।

1. विक्रय प्रमाण पत्र संख्या
2. नीलामी क्रेता का नाम (पूरा पता सहित)
- 3.

विक्रेता का दिनांक

4.

विक्रय पूर्ण होने का दिनांक

5. विक्रय – मूल्य
 6. बाकीदार ऋणग्रहीता सदस्य/सदस्यों का/के नाम—
 आत्मज

आत्मज

आत्मज

आत्मज

7. सार्वजनिक नीलाम में विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	परगना	तहसील	जिला	काश्तकारी खसरा	क्षेत्र का अधिकार किस प्रकार का है
---------	-------------	-------	-------	------	----------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

आज.....दिनांक,.....200 , को मेरे हस्ताक्षरो और कार्यालय की मुहर के अधीन जारी किया गया है।

प्रतिलिपि उप-निबन्धक(निबन्धक)

(पदनाम और मुहर)

जिला

को प्रेषित

दिनांक

(पदनाम और मुहर)

प्रतिलिपि {ग्राम-विकास बैंक}को भी प्रेषित

पद का नाम और मुहर
